



भारत सरकार / Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय/ Regional Office

पता: द्वितीय तल, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड मुख्यालय, हरमू चौक, राँची, झारखण्ड - 834002
Add: 2nd Floor, Headquarter-Jharkhand State Housing Board, Harmu Chowk, Ranchi, Jharkhand - 834002
Tel: 0651-2410002, 2410007; E-mail: ro.ranchi-mef@gov.in



संख्या: एफ.पी/बी.आर./रोड/142675/2021/362

दिनांक: 18.06.2025

सेवा में,

प्रधान सचिव/ अपर मुख्य सचिव
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
बिहार सरकार, सिंचाई भवन
पटना – 800015.

विषय:- शेखपुरा, लखीसराय, जमुई एवं बाँका जिलान्तर्गत NH-333A बरबीघा-शेखपुरा-सिकन्दरा-जमुई-झाझा-बाँका-पंजवारा झारखण्ड बॉर्डर तक (0.00-198.45 कि०मी० पैकेज-I) पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत 142.7368 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निर्देशानुसार उपर्युक्त विषयक श्रीमान के पत्र संख्या-4/वन भूमि-78/2025/2538/प०व०ज०प० दिनांक 23.05.2025 के सम्बन्ध में अवगत करना है कि उपरोक्त वर्णित परियोजना प्रस्ताव के जाँचोपरान्त यह पाया गया कि प्रस्ताव के ऑनलाइन आवेदन में निम्नलिखित दस्तावेजों/जानकारी को दुरुस्त/अपलोड कराने की आवश्यकता है:

- The authorization letter at PART-I; A-3 (xvii) is not specific. It should be singularly issued in the name of applicant. Similarly, entries B-2.3 & B-2.4 may be comprehended.
- The KML file of the proposed forest marked for diversion is erroneous. It needs to be corrected.
- Cross-section layout map of the proposed Road is missing.
- Certified copy of area calculation by the concerned DFOs.
- Cost Benefit analysis is not correct. It may be rectified.
- NOCs from concerned parent departments like railways, transmission lines which the proposed road is intended to pass in forest is mandatory before issuance of Stage-I approval.
- Proposal involves forest area more than 100 ha., therefore SIR of State Nodal Officer-FC is required.
- Compensatory Afforestation (CA) has been proposed over Degraded Forest Land (DFL) which needs to be proposed over Non-Forest Land (NFL) for state government proposals.
- Information related to employment generation at entry E(ii) & (iii) may be corrected.
- Entries at 5 of PART-II may be highlighted clearly.
- Site Inspection Reports of all the inspecting authorities (e.g. DFOs, CFs etc.) must be signed with date over the name of inspecting authority.

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित दस्तावेज / जानकारी को प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई हेतु ऑनलाइन में अपलोड कराते हुए प्रेषित कर अनुगृहीत करें ताकि प्रकरण में अग्रिम करवाई की जा सके।

विश्वासभाजन

(शशि शंकर)

उप वन महानिरीक्षक

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक- सह — नोडल पदाधिकारी (एफ. सी.), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार, अरण्य भवन, शहीद पीर अलीखान मार्ग, पटना-800014.
2. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बाँका, जमुई एवं मुंगेर वन प्रमण्डल, बिहार।
3. कार्यपालक अभियंता, एनएच डिवीजन लखीसराय, मुंगेर।
4. गार्ड फाईल।